प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला भ्र0नि0 ब्यूरो, बून्दी थाना :– प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र.नि.ब्यूरो, जयपुर वर्ष :– 2023
   प्र0सू0रि0 सं 197/2023 दिनांक 19/7/2023
2. (1) अधिनियम .....धाराऐं **7 पी.सी. (संशोधित) एक्ट 2018**
   (2) अधिनियम..... .धाराऐं .....
   (3) अधिनियम..... .धाराऐं.....
   (4) अन्य अधिनियम एवं ..... धाराऐं .....
3. (क) घटना का दिन :– **दिनांक 18.07.2023 मंगलवार**
   (ख) थाने/चौकी पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक :– 10.04.2023 समय :– **12.30 पी.एम**
   (ग) रोजनामचा संदर्भ प्रविष्टि संख्या 920 समय 7:00 PM
4. सूचना कैसे प्राप्त हुई– (लिखित/मौखिक) **लिखित**
5. घटनास्थल का ब्यौरा :–
   (क) थाने/चौकी से दिशा एवं दूरी – **दक्षिण एवं 3 किलोमीटर**
   बीट संख्या.....जुरामदेही सं.....
   (ख) पता:– **कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी बूंदी**
   (ग) यदि इस थाने की सीमा से बाहर हो, तब उस थाने का नाम.....
6. शिकायतकर्त्ता/इतिला देने वाला :–
   (क) नाम :– **श्री विनोद सेन**
   (ख) पिता का नाम :– **श्री नरेन्द्र सेन**
   (ग) जन्म तिथि/उम्र :– **27 साल**
   (घ) राष्ट्रीयता – भारतीय
   (ड़) पासपोर्ट संख्या.....जारी करने की तिथि.....जारी करने का स्थान
   (च) व्यवसाय – कृषि, शराब व्यवसाय
   (छ) पता :– **निवासी कस्बा तालेडा, तहसील तालेडा, जिला बूंदी**
7. ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्तों का पूर्ण विवरण :–

   सुनील कुमार गर्ग पुत्र सत्यनारायण गर्ग उम्र 35 साल निवासी खण्डार जिला सवाई माधोपुर हाल निवास फ्लेट नं. 309 पार्श्वनाथ अपार्टमेन्ट, कुन्हाडी, कोटा शहर हाल आबकारी निरीक्षक वृत्त बूंदी जिला बूंदी

8. शिकायत/इतिला देने वाले द्वारा सूचना देने में देरी का कारण :– कोई नहीं
9. चोरी हुई/लिखित सम्पति की विशिष्टियॉ (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)
10. चोरी हुई/लिखित सम्पति का कुल मूल्यः – **6,000 रूपये** .....
11. पंचनामा/यूडी के संख्या (अगर हो तो).....
12. प्रथम सूचना रिपोर्ट की विषयवस्तु :–

दिनांक 10.04.2023 समय 12.30 पी.एम. पर परिवादी श्री विनोद सेन पुत्र नरेन्द्र सेन उम्र 27 साल निवासी तालेडा, तहसील व जिला बूंदी व सहपरिवादी श्री अर्जुन रैबारी पुत्र श्री राजाराम उम्र 35 साल निवासी ग्राम ख्यावदा तहसील व जिला बूंदी उपस्थित ब्यूरो कार्यालय बूंदी आये तथा दोनों द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र विनोद सेन ने मन् उप अधीक्षक को इस आशय का पेश किया कि "– मैं शराब दुकान का संचालन करता हूँ। श्री जितेन्द्र सिंह सौंलकी पुत्र श्री भंवर लाल सिंह निवासी विजय नगर कॉलोनी, श्योपूरिया की बावडी जिला बूंदी को आवंटित देशी अग्रेंजी कम्पोजिट शराब दुकान कोड नं. 801070 ग्राम पंचायत रिहाना, ख्यावदा तहसील व जिला बूंदी का मुख्तारनामा आम मुझे व मेरे पार्टनरों को नियुक्त कर रखा है। उक्त दुकान का संचालन पार्टनर मिलकर ही करते है। दुकान पर माल सप्लाई, लेन–देन आदि का मुख्य कार्य मैं व मेरा पार्टनर अर्जुन रैबारी करते है। इस साल चालु शराब दुकान की लोकेशन के लिये हमने आबकारी निरीक्षक सुनील गर्ग से मैं व मेरा पार्टनर अर्जुन रैबारी मिलें तो आबकारी निरीक्षक सुनील गर्ग ने लोकेशन के लिये 20,000 रूपये रिश्वत की मांग की तथा शराब दुकान के लिये प्रतिमाह 6000 रूपये मासिक बन्धी रिश्वत की मांग की तथा रूपये नही देने पर माल को अवैध बताकर उठाने व दुकान नही चलने देने की धमकी दी है। अतः सुनील गर्ग आबकारी निरीक्षक बूंदी के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करने का श्रम करें।"

प्रार्थना पत्र के बारे में पूछने पर परिवादी विनोद सेन ने बताया कि प्रार्थना पत्र मेरे द्वारा स्वयं हस्तलिखित है, इस पर हम दोनों के हस्ताक्षर है, जिसकी पुष्टि सहपरिवादी अर्जुन रैबारी द्वारा भी की गई। उक्त दोनों से पूछने पर बताया कि " ग्राम पंचायत रिहाना, ख्यावदा तहसील व जिला बूंदी में देशी अग्रेंजी कम्पोजिट शराब दुकान कोड नं. 801070 का अनुज्ञाधारी श्री जितेन्द्र सिंह सौंलकी है, परन्तु उक्त दुकान के संचालन हेतु हम पार्टनर को ही नियुक्त कर रखा है। परिवादीगण से उक्त दुकान के

संचालन बाबत दस्तावेज चाहे तो दोनों ने बताया कि अभी हमारे पास लिखित दस्तावेज नही है, आईन्दा पेश कर देंगें। परिवादीगण ने बताया कि आरोपी सुनील कुमार आबकारी निरीक्षक मण्डी रोड स्थित कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी बूंदी के भवन में स्थित कमरे में ही बैठता है तथा वही पर रिश्वत लेन–देन के बारे में बातचीत करेगा।

परिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं पूछताछ से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की श्रेणी में आना पाया जाने पर श्री जितेन्द्र सिंह कानि. 413 के जरिये मालखाने से डिजिटल वॉईस रिकार्डर मंगवाया जाकर परिवादी विनोद सेन को चालु व बन्द करने तथा वार्ता को रिकार्ड करने की विधि समझाकर निर्देश दिये कि आरोपी अधिकारी से अपने कार्य के सम्बन्ध में बातचीत कर आपस में होने वाली वार्ता को डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड करे व बाद वार्ता डिजिटल वाईस रिकार्डर लाकर मन् उप अधीक्षक को पेश करें। श्री जितेन्द्र सिंह कानि. 413 को परिवादीगण पर निगरानी बनाये रखने की समझाइश कर परिवादीगण के साथ–साथ मोटरसाइकिल से रिश्वत मांग सत्यापन हेतु रवाना किया गया।

परिवादी श्री विनोद सेन व अर्जुन रैबारी दोनों श्री जितेन्द्र सिंह कानि. 413 के साथ ब्यूरो कार्यालय बूंदी उपस्थित आये। परिवादी विनोद सेन ने डिजिटल वॉईस रिकार्डर मन् उप अधीक्षक को सुपुर्द कर बताया कि "मैं व अुर्जन रैबारी तथा जितेन्द्र सिंह रवाना होकर मण्डी रोड स्थित कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी बूंदी के बाहर आम रोड पर पहुचें, जहां पर जितेन्द्र सिंह रोड पर खडा रहा तथा मैं व अुर्जन रैबारी दोनों डिजिटल वॉईस रिकार्डर को चालु करके सुनील कुमार सीआई साहब के पास उसके कक्ष में गये, जहां पर सुनील कुमार सीआई साहब मिलें, जिनसे हमारी रिहाणा ख्यावदा शराब दुकान की लोकेशन के बारे में एवं उक्त दुकान के संचालन के बारे में बातचीत हुई तो सीआई साहब ने लोकेशन जारी करवाने की एवज में 20,000 रूपये एवं मासिक बन्धी के बारे में रिश्वत की मांग की तथा बातचीत के दौरान ही सीआई साहब ने मेरे से 5000 रूपये रिश्वत के ले लिये। बातचीत के बाद बाहर आकर डिजिटल वॉईस रिकार्डर को बन्द करके हम दोनों जितेन्द्र सिंह के पास कार्यालय के बाहर मण्डी रोड पर आये तथा रवाना होकर ब्यूरो कार्यालय आये है।" सहपरिवादी श्री अर्जुन रैबारी व जितेन्द्र सिंह कानि. 413 द्वारा भी परिवादी विनोद सेन के कथन की पुष्टि की। इस पर मन् उप अधीक्षक ने डिजिटल वॉईस रिकार्डर में ईयरफोन लगाकर रिकार्ड वार्ता को सुना गया तो आरोपी द्वारा परिवादीगण से रिहाणा ख्यावदा शराब दुकान की लोकेशन जारी करवाने एवं संचालन के लिये मासिक बन्धी की रिश्वत मांगने की पुष्टि होना पाया गया है परन्तु मासिक बन्धी के रूप में आरोपी द्वारा राशि तय नही होने से आईन्दा मासिक बन्धी की राशि के सम्बंध में स्पष्ट सत्यापन करवाया जाना तय किया गया। डिजिटल वॉईस रिकार्डर को सुरक्षित रखा गया।

परिवादीगण ने बताया कि आरोपी मासिक बन्धी के बारे में महिने में एक ही बार बात करता है इसलिये बुलायेगा, तब हम आपको सूचित कर देगें। इस पर परिवादीगण को गोपनीयता की हिदायत देकर रूखस्त किया गया।

तत्पचात मन् उप अधीक्षक दिनांक 23.04.2023 से 11.05.2023 तक आवश्यक कारणों से अवकाश पर रहने के कारण उक्त कार्यवाही के सम्बंध में परिवादीगण से सम्पर्क नही हो पाया। दिनांक 22.06.2023 को श्री जितेन्द्र सिंह कानि. 413 को परिवादीगण से सम्पर्क करने के निर्देश देने पर जितेन्द्र सिंह कानि. ने जानकारी करके मन् उप अधीक्षक को बताया कि परिवादी विनोद सेन का लडका बीमार होने के कारण वह कार्यवाही के सम्बंध में उपस्थित नही हो पाया है।

दिनांक 14.07.2023 समय 12.50 पी.एम. पर परिवादीगण विनोद सेन, अर्जुन रैबारी अपने साथी हरि मोहन के साथ ब्यूरो कार्यालय बूंदी आये। परिवादी विनोद सेन ने ग्राम पंचायत रिहाना, ख्यावदा तहसील व जिला बूंदी स्थित देशी अग्रेंजी कम्पोजिट शराब दुकान के अनुज्ञाधारी जितेन्द्र सिंह सौंलकी द्वारा महेन्द्र सिंह सौलंकी, विनोद सेन, हरिमोहन गुर्जर व अर्जुन रैबारी के पक्ष में निष्पादित एक सौ रूपये का टाईपशुदा स्टाम्प कुल 3 पृष्ठ का मुख्तारनामा आम पेश किया तथा बताया कि ग्राम पंचायत रिहाना, ख्यावदा की देशी अग्रेंजी कम्पोजिट शराब दुकान के संचालन के लिये हमें दिनांक 01.04.2023 से 31.03.2024 तक मुख्तारनामा आम घोषित कर अधिकृत कर रखा है। उक्त मूल मुख्तारनामा आम को सुरक्षित रखने के निर्देश देकर लौटाया गया एवं छायाप्रति को शामिल कार्यवाही किया गया। परिवादी विनोद सेन ने बताया कि "मेरे लडका बीमार होने के कारण मैं नही आ पाया था। सीआई साहब पीछे से मेरी दुकान पर आकर बार–बार मासिक बन्धी भिजवाने का दबाव बना रहे है। आज सीआई साहब अपने ऑफिस में ही मिलेगे।"

उक्त पर मासिक बन्धी की राशि के बारे में स्पष्ट सत्यापन करवाने के कम में परिवादी विनोद सेन को डिजिटल वॉईस रिकार्डर को पुनः चालु व बन्द करने तथा वार्ता को रिकार्ड करने की विधि समझाकर निर्देश दिये कि आरोपी अधिकारी से मासिक बन्धी के बारे में बातचीत कर आपस में होने वाली वार्ता को डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड करे व बाद वार्ता डिजिटल वाईस रिकार्डर लाकर मन् उप अधीक्षक को पेश करें। श्री जितेन्द्र सिंह कानि. 413 को परिवादीगण पर निगरानी बनाये रखने

की समझाइश कर मोटरसाइकिल से तथा परिवादीगण विनोद सेन, अर्जुन रैबारी व हरिमोहन को उनकी कार से रिश्वत मांग सत्यापन हेतु आरोपी के कार्यालय रवाना किया गया।

समय 02.50 पी.एम. पर परिवादीगण श्री विनोद सेन, अर्जुन रैबारी व हरिमोहन गुर्जर तीनों श्री जितेन्द्र सिंह कानि. 413 के साथ ब्यूरो कार्यालय बूंदी उपस्थित आये। परिवादी विनोद सेन ने डिजिटल वॉईस रिकार्डर मन् उप अधीक्षक को सुपुर्द कर बताया कि "मैं व अर्जुन रैबारी व हरिमोहन गुर्जर तथा जितेन्द्र सिंह रवाना होकर मण्डी रोड स्थित कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी बूंदी के बाहर आम रोड पर पहुचें, जहां पर जितेन्द्र सिंह रोड पर खडा रहा तथा मैं, अर्जुन रैबारी व हरिमोहन गुर्जर तीनों डिजिटल वॉईस रिकार्डर को चालु करके सुनील कुमार सीआई साहब के पास उनके कार्यालय में सीआई साहब से मिलें। सीआई साहब सुनील जी ने पहले तो हमें पिछले साल की पुरानी दुकान के चालान बकाया होने के नाम पर धमकाया तथा बाद में रिहाणा ख्यावदा शराब दुकान की मासिक बन्धी के नाम पर 6000 रूपये रिश्वत की मांग की तो हम सोमवार को देने को देने की बात कहकर आ गये तथा डिजिटल वॉईस रिकार्डर को बन्द कर जितेन्द्र सिंह के साथ ब्यूरो कार्यालय आये।" परिवादी विनोद सेन के कथन की पुष्टि सहपरिवादी अर्जुन रैबारी व हरिमोहन गुर्जर द्वारा की गई तथा जितेन्द्र सिंह कानि. 413 ने भी परिवादीगण के कथनों की पुष्टि की। इस पर मन् उप अधीक्षक ने डिजिटल वॉईस रिकार्डर में ईयरफोन लगाकर रिकार्ड वार्ता को सुना गया तो आरोपी द्वारा रिहाणा ख्यावदा शराब दुकान के निर्बाध संचालन की एवज में परिवादीगण से 6000 रूपये की मांग करने तथा परिवादीगण को सोमवार को रिश्वत लेकर आने की बात कहने की स्पष्ट पुष्टि होना पाया गया है। डिजिटल वॉईस रिकार्डर को सुरक्षित रखा गया। परिवादीगण को रिश्वत राशि की व्यवस्था कर आने एवं गोपनीयता रखने की हिदायत देकर रूखस्त किया गया।

दिनांक 17.07.2023 को श्री जितेन्द्र सिंह कानि. 413 को परिवादीगण के ब्यूरो कार्यालय में आने के बारे में जानकारी करने के निर्देश देने पर श्री जितेन्द्र सिंह कानि. 413 ने परिवादीगण से सम्पर्क कर बताया कि "आज हरियाली अमावस्या पर कलक्टर साहब के द्वारा जिला बूंदी में सार्वजनिक अवकाश घोषित करने के कारण समस्त सरकारी कार्यालय बन्द रहेगें। इस कारण परिवादीगण दिनांक 18.07.2023 को ब्यूरो कार्यालय बूंदी आने की बात कही है।"

दिनांक 18.07.2023 **को** ट्रेप कार्यवाही के लिये दो स्वतंत्र गवाहान की तलबी हेतु कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी बूंदी जिला बूंदी के नाम तहरीर जारी कर गवाह लाने के लिये श्री मनोज कानि. 452 को कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी बूंदी जिला बूंदी रवाना किया गया। श्री मनोज कानि. 452 कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी बूंदी जिला बूंदी से दो स्वतंत्र गवाह श्री रमेशचन्द शर्मा वरिष्ठ सहायक एवं श्री गजेन्द्र सिंह कनिष्ठ सहायक को लेकर ब्यूरो कार्यालय बूंदी आया।

परिवादीगण विनोद सेन व अर्जुन रैबारी उपस्थित ब्यूरो कार्यालय आये। परिवादीगण का परिचय कार्यालय में मुकीम स्वतंत्र गवाहान से करवाया गया। परिवादीगण द्वारा दिनांक 10.04.2023 को पेश किये गये हस्तलिखित प्रार्थना पत्र को पढकर सुनाया, गवाहान ने प्रार्थना पत्र को पढकर अपने अपने हस्ताक्षर किये तथा कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाहान रहने की सहमति व्यक्त की। परिवादी विनोद सेन ने बताया कि "आरोपी की मांग के अनुसार 6000 रूपये रिश्वत राशि के लेकर आये है।"

समय 01.30 पी.एम. पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री विनोद सेन पुत्र नरेन्द्र सेन उम्र 27 साल जाति नाई निवासी तालेडा तहसील तालेडा जिला बूंदी ने अपने पास से भारतीय मुद्रा के 500–500 रूपये के 12 नोट कुल 6,000 रूपये मन् उप अधीक्षक ज्ञानचन्द के समक्ष पेश किये। उक्त नोटों के नम्बर फर्द पेशकसी में अंकित किये गये। श्रीमती टींकू कंवर महिला कानि 474 से कार्यालय के मालखाना से फिनोफ्थलीन पावडर की शीशी निकलवाई गई तथा मन् उप अधीक्षक के चेम्बर की टेबल पर एक अखबार बिछवाया जाकर उस अखबार पर उक्त नोटों को रखकर सभी नोटो पर श्रीमती टींकू कंवर महिला कानि 474 से अच्छी तरह से फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी विनोद सेन व अर्जुन रैबारी की जामा तलाशी गवाह श्री रमेशचन्द शर्मा से लिवाई गई। परिवादीगण के पास उसके मोबाईल फोन के अतिरिक्त अन्य कोई दस्तावेज/राशि/वस्तु नही रहने दी गई। तत्पश्चात परिवादी श्री विनोद सेन के पहनी हुई पेन्ट की साईड की दायीं जेब में उक्त फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त नम्बरी नोटो को श्रीमती टींकू कंवर महिला कानि 474 से रखवाये गये। एक कांच के गिलास में साफ पानी मंगवाया जाकर उसमे सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया जाकर उक्त घोल में श्रीमती टींकू कंवर महिला कानि 474 की फिनोफ्थलीन युक्त दाहिने हाथ की अंगुलियों को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया, जिस पर परिवादी विनोद सेन, अर्जुन रैबारी व स्वतंत्र गवाहान को समझाया गया कि यदि आरोपी अधिकारी उक्त पाउडर लगे नोटो को छुयेगा तो उसके हाथों में फिनोफ्थलीन पाउडर लग जायेगा और इसी प्रकार तैयार किये गये घोल में उसके हाथ धुलवाने पर घोल का रंग गुलाबी या हल्का गुलाबी हो जायेगा, जिससे यह साबित होगा कि उसने रिश्वत राशि को प्राप्त किया है। इसके बाद उक्त गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिकवाया गया। श्रीमती टींकू कंवर महिला कानि 474 से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी वापस मालखाना में रखवाई गई तथा जिस

अखबार पर रखकर नोटो पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया था उस अखबार को जलवाया गया। श्रीमती टींकू कंवर महिला कानि 474 के दोनों हाथों को साबुन व साफ पानी से धुलवाये गये। इसके बाद मन् उप अधीक्षक, परिवादीगण, गवाहान व समस्त ट्रेप पार्टी के सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये तथा ट्रेप बॉक्स में रखी खाली शीशीया, ढक्कन, कांच के गिलास व चम्मच आदि को साबुन व साफ पानी से धुलवाया गया। परिवादीगण को छोडकर सभी की आपस में जामा तलाशी लिवाई जाकर किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नही रहने दी गई। परिवादी श्री विनोद सेन को रिश्वत लेन देन के समय होने वाली वार्ता को रिकार्ड करने हेतु डिजिटल वॉईस रिकार्डर को चलाने व बन्द करने की विधि पुनः समझा कर सम्भलाया गया। परिवादी श्री विनोद सेन को समझाइश की गई कि आरोपी अधिकारी द्वारा रिश्वत लेने के बाद श्री मनोज कानि 452 की ओर अपने सिर पर हाथ फेरकर इशारा/सूचित करें। उक्त दृष्टांत एवं पेशकसी कार्यवाही की फर्द पृथक से मूर्तिब कर शामिल कार्यवाही की गई।

समय 01.55 पी.एम. पर परिवादी विनोद सेन, अर्जुन रैबारी को उनकी निजी कार से मनोज कुमार कानि. 452 के साथ एवं एक मोटरसाइकिल पर श्री राजमकल कानि. 330, श्री जितेन्द्र सिंह कानि. 413 व दूसरी मोटरसाइकिल पर श्री राम सिंह कानि. 78 को आगे आगे रवाना करके मन् उप अधीक्षक मय दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं एसीबी जाप्ता श्री शिवनारायण हैड कानि. 30, चालक प्रेमप्रकाश कानि. 350 के प्राइवेट वाहन से मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप प्रिन्टर, ईयरफोन एवं ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाली अन्य सामग्री के ट्रेप कार्यवाही हेतु रवाना होकर कृषि मण्डी रोड स्थित कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी बूंदी पहुँचें।

परिवादीगण विनोद सेन व अर्जुन रैबारी एवं मनोज कुमार कानि. 452 को कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी बूंदी में आरोपी के पास रिश्वत लेन–देन हेतु रवाना कर श्री राम सिंह कानि. 78 को मोटरसाइकिल से कुछ दूरी पर पूर्व की ओर मुकीम रहने एवं श्री राजमकल कानि. 330, श्री जितेन्द्र सिंह कानि. 413 को रोड पर पश्चिम की ओर मुकीम रखा गया तथा मन् उप अधीक्षक मय दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं एसीबी जाप्ता श्री शिवनारायण हैड कानि. 30, चालक प्रेमप्रकाश कानि. 350 के प्राइवेट वाहन में रोड पर साइड में परिवादीगण के इशारे/सूचना की प्रतीक्षा में मुकीम रहा।

समय 02.13 पी.एम. पर श्री मनोज कानि. 452 ने मन् उप अधीक्षक को जरिये मोबाईल कॉल करके आरोपी द्वारा रिश्वत प्राप्त कर लेने बाबत सूचित किया। इस पर मन् उप अधीक्षक ने आस पास मुकीम ब्यूरो टीम को एकत्रित किया। तत्पश्चात मन् उप अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान, श्री शिवनारायण हैड कानि. 30, श्री जितेन्द्र सिंह कानि. 413, राजकमल कानि. 330, रामसिंह कानि. 78 व चालक प्रेमप्रकाश के प्राइवेट वाहन/मोटरसाइकिलों से मण्डी रोड से रवाना होकर कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी बूंदी के परिसर में पहुँचा। परिवादी विनोद सेन से डिजिटल वॉईस रिकार्डर लेकर अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादीगण विनोद सेन व अर्जुन रैबारी को हमराह लेकर ब्यूरो टीम के मन् उप अधीक्षक आरोपी निरीक्षक के चेम्बर में पहुँचा तो एक व्यक्ति पेन्ट शर्ट पहने हुये कुर्सी पर बैठा हुआ मिला।

परिवादी विनोद सेन ने मन् उप अधीक्षक को बताया कि "ये कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति ही सीआई सुनील कुमार गर्ग है जिसने अभी–अभी मासिक बन्धी के रूप में रिश्वत के 6000 रूपये लेकर अपने पहने हुये शर्ट की जेब में रख लिये है।" इस पर उक्त व्यक्ति घबराकर मन् उप अधीक्षक की ओर हाथ जोड कर कहने लगा कि साहब गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो, आईन्दा कभी गलती नही करूंगा। इस पर मन् उप अधीक्षक ने उक्त व्यक्ति को स्वयं का व टीम का परिचय देकर उक्त व्यक्ति से नाम पता व पद पूछा तो उसने अपना नाम सुनील कुमार गर्ग पुत्र सत्यनारायण गर्ग उम्र 35 साल निवासी खण्डार जिला सवाई माधोपुर हाल निवास फ्लेट नं. 309 पार्श्वनाथ अपार्टमेन्ट, कुन्हाडी, कोटा शहर हाल आबकारी निरीक्षक वृत्त बूंदी जिला बूंदी होना बताया।

परिवादी विनोद सेन से ली गई रिश्वत राशि 6000/–रूपये के सम्बध मे आरोपी सुनील कुमार गर्ग से पूछने पर बताया कि रिहाना ख्यावदा देशी–अग्रेंजी कम्पोजिट शराब दुकान के लिये विनोद सेन व अर्जुन रैबारी मेरे पास आये थे तो विनोद सेन ने अपनी मर्जी से 6000 रूपये मेरे को दिये तो मैंने विश्वास में आकर रूपये लेकर मेरे पहने हुये शर्ट की जेब में रख लिये। परिवादी विनोद सेन ने आरोपी के कथनों का खण्डन करते हुये कहा कि मैंने अपनी मर्जी से सीआई साहब सुनील कुमार जी को रूपये नही दिये है, मासिक बन्धी नही देने पर सीआई साहब दुकान से माल उठवा लेते तथा मासिक बन्धी देने का अनुचित दबाव बना रहे थे। दिनांक 14.07.2023 को मैं व अर्जुन व हरिमोहन तीनों सीआई साहब के पास आये तो सीआई साहब ने बातचीत करके मासिक बन्धी के रूपये देने को कहा तो सोमवार को देने की बात कहकर आये थे, सोमवार को हरियाली अमावस्या की छुटटी होने के कारण आज इन्होंने मांग के अनुसार 6000 रूपये मासिक बन्धी के लिये है।

आरोपी सुनील कुमार गर्ग के हाथों का धोवन लिया जाने आवश्यक होने से एक साफ जग में साफ पानी मंगवाकर दो साफ कांच के गिलासों में पानी भरवाकर उसमें एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार किया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। पहले गिलास के सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में आरोपी सुनील कुमार गर्ग के दायें हाथ की अंगुलियो को डूबाकर

धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे दो कांच की शीशियो मे आधा–आधा डालकर शीशियो को सील मुहर किया जाकर मार्क आर.एच–1, आर.एच–2 अंकित कर चिट पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये। दूसरे गिलास के सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में आरोपी सुनील कुमार गर्ग के बायें हाथ की अंगुलियो को डूबाकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे दो कांच की शीशियो मे आधा– आधा डालकर सील मुहर किया जाकर मार्क एल.एच–1, एल.एच–2 अंकित कर चिट पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये।

स्वतंत्र गवाहान श्री रमेशचन्द शर्मा से आरोपी सुनील कुमार गर्ग के शर्ट की जेब की तलाशी लिवाई गई तो आरोपी के पहने हुये शर्ट के सामने की जेब से 500–500 रू के 12 नोट कुल 6000/– रूपये बरामद हुये। आरोपी सुनील कुमार गर्ग के शर्ट की जेब से बरामद 500–500 के 12 नोट कुल 6000/– रूपयो के नोटो के नम्बरो का मिलान दोनो गवाहो से फर्द पेशकशी व दृष्टांत में अंकित नोटों के नम्बरों से करवाया तो गवाहान ने नोटो के नम्बर फर्द में अंकित नोटों के नम्बरों को देखकर सभी नोट हु ब हु रिश्वती राशि के नोट होना बताया। बरामद नोटो का विवरण फर्द मे अंकित किया गया, जो इस प्रकार है:–

क्र.स.	नोट का विवरण	नोट का नम्बर
1	एक नोट पांच सौ रूपये	7 DA 617661
2	एक नोट पांच सौ रूपये	8 DQ 817525
3	एक नोट पांच सौ रूपये	8 RH 882791
4	एक नोट पांच सौ रूपये	7 WV 083921
5	एक नोट पांच सौ रूपये	9 NL 835452
6	एक नोट पांच सौ रूपये	0 KV 116553
7	एक नोट पांच सौ रूपये	1 PR 757459
8	एक नोट पांच सौ रूपये	4 CB 336115
9	एक नोट पांच सौ रूपये	1 VK 697735
10	एक नोट पांच सौ रूपये	1 UV 427292
11	एक नोट पांच सौ रूपये	5 CS 193958
12	एक नोट पांच सौ रूपये	5 MS 539017

उक्त नोटो को एक पीले रंग के कागज के लिफाफे में रखकर, विवरण अकिंत कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। आरोपी की इसी जेब से बरामदशुदा रिश्वत राशि के अतिरिक्त 20,200 रूपये (500–500 रूपये के 40 नोट, 100–100 रूपये के 2 नोट) मिलें, जिनके बारे में आरोपी से पूछा तो बताया कि संविदा पर लगी गाडी में डीजल डलवाने के लिये चालक को देने के लिये घर से लेकर आया हूँ। उक्त राशि सुरक्षार्थ कब्जे ब्यूरो लिया गया।

मौके पर कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी बूंदी के गार्ड रूम से एक टीशर्ट मंगवाई जाकर आरोपी के पहने हुये शर्ट को चेंज करवाया गया। एक अन्य कांच के गिलास में साफ पानी भरवाकर सोडियम कार्बोनेट पाउडर का घोल तैयार किया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। उक्त सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में आरोपी सुनील कुमार गर्ग के वक्त घटना पहने हुये शर्ट के सामने की बायी जेब को उल्टा करके डूबाकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे दो कांच की शीशियो मे आधा–आधा डालकर शीशियो को सील मुहर किया जाकर मार्क पी–1, पी.–2 अंकित कर चिट पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये। आरोपी के वक्त घटना पहने हुये शर्ट को कपड़े की थैली में रखकर सील मोहर कर मार्क–पी अंकित कर कब्जे ब्यूरो लिया गया।

परिवादी से ली गई रिश्वत राशि 6000/– रूपये के सम्बंध में आरोपी सुनील कुमार से विस्तृत पूछताछ करने पर बताया कि "देलुन्दा नोताडा में स्थित देशी–अग्रेंजी कम्पोजिट शराब की दुकान के वित्तीय वर्ष 2022–23 के गारन्टी कमी के पेटे बकाया चालान जमा करवाने के लिये मैंने विनोद कुमार, अर्जुन रैबारी व हरिमोहन को बुलाया था। देलुन्दा नोताडा में स्थित देशी–अग्रेंजी कम्पोजिट शराब की दुकान का संचालन विनोद कुमार, अर्जुन रैबारी, हरिमोहन व महेन्द्र सिंह द्वारा किया गया था, परन्तु रिकार्ड में उक्त दुकान पप्पुलाल को आवंटित थी। दुकान को ये चारों ही चलाते थे परन्तु रिकार्ड में कोई दस्तावेज नही है परन्तु समस्त कार्य यही चारों करते थे। इस कारण मेरे पास विनोद कुमार, अर्जुन रैबारी चालान जमा करवाने के लिये 2–3 बार आये थे। आज विनोद कुमार, अर्जुन रैबारी दोनों मेरे पास आये और इन्होंने मर्जी से रिहाणा ख्यावदा में स्थित देशी–अग्रेंजी कम्पोजिट शराब की दुकान की मासिक बन्धी के 6000 रूपये दिये तो मैंने विश्वास में आकर रूपये ले लिये तथा आपने आकर पकड लिया। रिहाणा ख्यावदा में स्थित देशी–अग्रेंजी कम्पोजिट शराब की दुकान की लोकेशन की एवज में मैंने रूपये नही लिये है तथा दुकान की लोकेशन के बारे में मैंने विनोद सेन, अर्जुन रैबारी से कोई बातचीत नही की है।

इस पर परिवादीगण विनोद सेन व अर्जुन रैबारी ने आरोपी सुनील कुमार गर्ग के कथन का खण्डन करते हुये बताया कि " इस साल ग्राम पंचायत रिहाणा, ख्यावदा तहसील व जिला बूंदी में स्थित देशी अग्रेंजी कम्पोजिट शराब दुकान कोड नं. 801070 का आवंटन श्री जितेन्द्र सिंह सौंलकी निवासी विजय नगर कॉलोनी, श्योपूरिया की बावडी जिला बूंदी के नाम हुआ था। श्री जितेन्द्र सिंह सौंलकी ने दुकान के सम्बंध में हम पार्टनरों को समस्त कार्य के लिये मुख्तारआम घोषित कर रखा है। ग्राम पंचायत रिहाणा, ख्यावदा तहसील व जिला बूंदी की देशी अग्रेंजी कम्पोजिट शराब दुकान की लोकेशन के लिये हम दिनांक 10.04.2023 को सीआई साहब सुनील कुमार गर्ग से मिलें तो उन्होंने दुकान की लोकेशन के लिये 20,000 रूपये रिश्वत की मांग की, हमने लोकेशन के नाम से रूपये कम करने को कहा तो 13000 रूपये सीआई साहब सुनील कुमार गर्ग ने लोकेशन जारी करने की एवज में लिये तथा रिहाणा, ख्यावदा दुकान के संचालन के लिये मासिक बन्धी की मांग की थी। इस पर हमने एसीबी में शिकायत की थी तो आपके कार्यालय से जितेन्द्र सिंह को हमारे साथ भेजकर सीआई साहब से बात करवाई तो सीआई साहब सुनील जी ने मासिक बन्धी व लोकेशन के बारे में बातचीत की थी। मासिक बन्धी नही देने पर माल उठाने व दुकान नही चलने देने की धमकी देते रहे। उसके बाद सीआई साहब ने हमें दुबारा बुलाया तो हम दोनों तथा हमारा पार्टनर हरिमोहन दिनांक 14.07.2023 को आपके कार्यालय आये तथा जितेन्द्र सिंह के साथ डिजिटल वॉईस रिकार्डर लेकर कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी बूंदी में गये, जहां पर सीआई साहब सुनील जी हमें मिलें तथा हमारे से बातचीत करके सीआई साहब ने मासिक बन्धी के 6000 रूपये मांगे थे तो हम सोमवार को देने की बात कहकर आये थे। सोमवार को छुटटी होने की वजह से आज हम एसीबी ऑफिस आये तथा उसके बाद सीआई साहब के पास कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी बूंदी गये तो सीआई साहब ने बातचीत करके ग्राम पंचायत रिहाना, ख्यावदा की देशी अगेंजी कम्पोजिट शराब दुकान के 6000 रूपये मासिक बन्धी ले लिये है। विगत वर्ष में देलुन्दा नोताडा में स्थित देशी–अग्रेंजी कम्पोजिट शराब की दुकान का आवंटन पप्पूलाल के नाम हुआ था, हमारा उक्त दुकान से कोई लेना देना नही है, हम सिर्फ काम करते थे, इसलिये उक्त दुकान का बहाना बनाकर ग्राम पंचायत रिहाणा ख्यावदा तहसील व जिला बूंदी की देशी अग्रेंजी कम्पोजिट शराब दुकान की मासिक बन्धी के लिये परेशान किया रहा था।

आरोपी सुनील कुमार गर्ग आबकारी निरीक्षक वृत्त बूंदी जिला बूंदी द्वारा परिवादीगण विनोद सेन, अर्जुन रैबारी से ग्राम पंचायत रिहाणा, ख्यावदा तहसील व जिला बूंदी में स्थित देशी अग्रेंजी कम्पोजिट शराब दुकान कोड नं. 801070 के निर्बाध संचालन की एवज में 6,000 रूपये मासिक बन्धी की मांग कर परेशान किया जा रहा था, उक्त शिकायत का गोपनीय सत्यापन करवाने पर रिश्वत मांग की स्पष्ट पुष्टि हुई। जिस पर ट्रेप कार्यवाही करते हुये आरोपी सुनील कुमार गर्ग को 6000 रूपये रिश्वत लेते हुये कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी बूंदी में स्थित उसके कक्ष में रंगे हाथ पकडा जाकर रिश्वत राशि आरोपी की पहनी हुई शर्ट की जेब से बरामद की गई है। आरोपी का उक्त कृत्य अन्तर्गत धारा 7 पी सी एक्ट (संशोधित) 2018 में दण्डनीय अपराध पाया गया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही फर्द हाथ धुलाई व बरामदगी रिश्वती राशि मुर्तिब की जाकर शामिल कार्यवाही की गई।

ट्रेप कार्यवाही के घटनास्थल कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी बूंदी का परिवादी विनोद सेन की निशादेही से निरीक्षण किया जाकर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष नक्शा मौका फर्द तैयार कर शामिल कार्यवाही की गई।

आरोपी सुनील कुमार गर्ग आबकारी निरीक्षक को रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता प्रथम दिनांक 10.04.2023 एवं रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता द्वितीय दिनांक 14.07.2023 एवं रिश्वत लेन–देन वार्ता दिनांक 18.07.2023 के मुख्य–मुख्य अंश सुनाये जाकर उसकी आवाज का नमूना दिये जाने के सम्बंध में गवाहान के समक्ष लिखित में नोटिस दिया गया तो आरोपी ने अपनी प्रत्युत्तर में लिखित में पेश किया कि "मैं मेरी आवाज का नमूना नही देना चाहता और न ही आवाज का एफ.एस.एल. से परीक्षण करवाना चाहता हूँ।" नोटिस पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया।

ट्रेप कार्यवाही से आरोपी सुनील कुमार गर्ग पुत्र सत्यनारायण गर्ग उम्र 35 साल निवासी खण्डार जिला सवाई माधोपुर हाल निवास फ्लेट नं. 309 पार्श्वनाथ अपार्टमेन्ट, कुन्हाडी, कोटा शहर हाल आबकारी निरीक्षक वृत्त बूंदी जिला बूंदी के विरूद्ध जुर्म धारा 7 पी.सी. (संशोधित) एक्ट 2018 का अपराध प्रमाणित पाया जाने पर आरोपी को स्वतंत्र गवाहान के समक्ष जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया।

मौके की कार्यवाही के बाद मन् उप अधीक्षक ज्ञानचन्द मय परिवादीगण, स्वतंत्र गवाहान, एसीबी जाप्ता के डिटेनशुदा आरोपी सुनील कुमार गर्ग आबकारी निरीक्षक को लेकर कार्यवाही में जप्तशुदा आर्टिकल्स एवं जामा तलाशी में मिली सामग्री के प्राइवेट वाहन व मोटरसाइकिलों से रवाना होकर ब्यूरो कार्यालय बूंदी आया। ट्रेप कार्यवाही में मौके पर जप्तशुदा आर्टिकल्स एवं जामा तलाशी में मिली सामग्री को श्री शिवनारायण हैड कानि. 30 के सिपुर्द कर जमा मालखाना करवाया गया।

परिवादी श्री विनोद सेन व सहपरिवादी अर्जुन रैबारी तथा आरोपी सुनील कुमार गर्ग आबकारी निरीक्षक के मध्य दिनांक 10.04.2023 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता प्रथम को परिवादी विनोद सेन से डिजिटल वॉईस रिकार्डर में रिकार्ड करवाया गया था। उक्त डिजिटल वाईस रिकार्डर के मैमारी कार्ड

में रिकार्डशुदा उक्त वार्ता को परिवादीगण व स्वतंत्र गवाहान की मौजूदगी में कार्यालय के सरकारी लेपटॉप के जरिये सुना गया एवं रिकार्डशुदा वार्ता की परिवादी विनोद सेन से पहचान करवाई गई तो वार्ता को सुनकर परिवादी ने प्रथम आवाज स्वयं की, द्वितीय आवाज आरोपी सुनील कुमार गर्ग, तृतीय आवाज सहपरिवादी अर्जुन रैबारी की होना पहचान किया। स्वतंत्र गवाहान के समक्ष वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट मेरे निर्देशन में श्री जितेन्द्र सिंह कानि 413 से तैयार करवाई जाकर शामिल पत्रावली की गयी।

परिवादी श्री विनोद सेन व सहपरिवादी अर्जुन रैबारी, हरिमोहन गुर्जर तथा आरोपी सुनील कुमार गर्ग आबकारी निरीक्षक के मध्य दिनांक 14.07.2023 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता द्वितीय को परिवादी विनोद सेन से डिजिटल वॉईस रिकार्डर में रिकार्ड करवाया गया था। उक्त डिजिटल वाईस रिकार्डर के मैमारी कार्ड में रिकार्डशुदा उक्त वार्ता को परिवादीगण व स्वतंत्र गवाहान की मौजूदगी में कार्यालय के सरकारी लेपटॉप के जरिये सुना गया एवं रिकार्डशुदा वार्ता की परिवादी विनोद सेन से पहचान करवाई गई तो वार्ता को सुनकर परिवादी ने प्रथम आवाज स्वयं की, द्वितीय आवाज आरोपी सुनील कुमार गर्ग, तृतीय आवाज सहपरिवादी अर्जुन रैबारी तथा चतुर्थ आवाज हरिमोहन गुर्जर की होना पहचान किया। स्वतंत्र गवाहान के समक्ष वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट मेरे निर्देशन में श्री जितेन्द्र सिंह कानि 413 से तैयार करवाई जाकर शामिल पत्रावली की गयी।

समय 08.15 पी.एम. पर परिवादी विनोद सेन ने बताया कि "मेरे घर पर अति आवश्यक कार्य होने से अभी घर जाना आवश्यक है।" अतः परिवादीगण एवं स्वतंत्र गवाहान को शेष कार्यवाही हेतु दिनांक 19.07.2023 को प्रातः ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत देकर रूखस्त किया गया।

दिनांक 19.07.2023 को पाबन्दशुदा स्वतंत्र गवाह श्री रमेशचन्द शर्मा व श्री गजेन्द्र सिंह एवं परिवादी विनोद सेन व सहपरिवादी अर्जुन रैबारी ब्यूरो कार्यालय बूंदी उपस्थित आये। तत्पश्चात परिवादी श्री विनोद सेन व सहपरिवादी अर्जुन रैबारी तथा आरोपी सुनील कुमार गर्ग आबकारी निरीक्षक के मध्य दिनांक 18.07.2023 को वक्त रिश्वत लेन–देन हुई वार्ता को परिवादी विनोद सेन से डिजिटल वॉईस रिकार्डर में रिकार्ड करवाया गया था। उक्त डिजिटल वाईस रिकार्डर के मैमारी कार्ड में रिकार्डशुदा उक्त वार्ता को परिवादीगण व स्वतंत्र गवाहान की मौजूदगी में कार्यालय के सरकारी लेपटॉप के जरिये सुना गया एवं रिकार्डशुदा वार्ता की परिवादी विनोद सेन से पहचान करवाई गई तो वार्ता को सुनकर परिवादी ने प्रथम आवाज स्वयं की, द्वितीय आवाज आरोपी सुनील कुमार गर्ग, तृतीय आवाज सहपरिवादी अर्जुन रैबारी की होना पहचान किया। स्वतंत्र गवाहान के समक्ष वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट वक्त रिश्वत लेन–देन वार्ता मेरे निर्देशन में श्री जितेन्द्र सिंह कानि 413 से तैयार करवाई जाकर शामिल पत्रावली की गयी।

समय 01.00 पी.एम. पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी विनोद सेन व सहपरिवादी अर्जुन रैबारी निवासी तथा आरोपी सुनील कुमार गर्ग आबकारी निरीक्षक वृत्त बूंदी जिला बूंदी के मध्य दिनांक 10.04.2023 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता प्रथम व दिनांक 14.07.2023 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता द्वितीय तथा दिनांक 18.07.2023 को हुई वक्त रिश्वत लेन–देन वार्ता सहित कुल 3 रिकार्ड वार्ताओं को परिवादी विनोद सेन से ए0सी0बी0 बून्दी के डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड करवाया गया था। उक्त तीनों वार्ताऐं डिजिटल वाईस रिकार्डर के मूल मैमारी कार्ड में रिकार्ड है। श्री जितेन्द्र सिंह कानि 413 से मेरे निर्देशन में सरकारी लेपटॉप की मदद से डिजिटल वाईस रिकार्डर के मूल मैंमोरी कार्ड में रिकार्ड तीनों वार्ताओं को 3 मैमारी कार्ड में पृथक–पृथक डब्ड (Copy) किया गया। जिसमें से मूल मैमोरी कार्ड न्यायालय के लिये तथा दो डब्ड मैमोरी कार्ड आरोपी एवं एफएसएल जांच के लिये पृथक–पृथक कपडे की थैली में रखकर सील मोहर किया गया एवं एक मैमोरी कार्ड को अनुसंधान अधिकारी के लिये बिना सील किये कागज के लिफाफे में रखा गया। उक्त कार्यवाही की फर्द जप्ती मूल मैमारी कार्ड एवं डबिंग मैमोरी कार्ड पृथक से मूर्तिब कर शामिल कार्यवाही की गई।

बाद ट्रेप कार्यवाही परिवादी विनोद सेन, सहपरिवादी अर्जुन रैबारी व दोनों स्वतंत्र गवाहों को रूखस्त किया गया। ट्रेप कार्यवाही में जप्तशुदा शेष आर्टिकल्स 3 सीलशुदा मैमोरी कार्ड व 1 अनसील मैमोरी कार्ड को श्री शिवनारायण हैड कानि. 30 के जरिये जमा मालखाना करवाया गया।

अब तक की ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि दिनांक 10.04.2023 को परिवादी विनोद सेन व सहपरिवादी अर्जुन रैबारी ने एक हस्तलिखित शिकायत इस आशय की पेश की, कि देशी अगेंजी कम्पोजिट शराब दुकान कोड नं. 801070 ग्राम पंचायत रिहाना, ख्यावदा तहसील व जिला बूंदी की लोकेशन के लिये हमने आबकारी निरीक्षक सुनील गर्ग 20,000 रूपये तथा शराब दुकान के लिये प्रतिमाह 6000 रूपये मासिक बन्धी रिश्वत की मांग कर रहा है तथा रूपये नही देने पर माल को अवैध बताकर उठाने व दुकान नही चलने देने की धमकी दे रहा है।

उपरोक्त प्राप्त शिकायत का दिनांक 10.04.2023 व 14.07.2023 को गोपनीय सत्यापन करवाया गया तो रिश्वत मांग सत्यापन वार्ताओं में रिश्वत मांगने की स्पष्ट पुष्टि हुई। आरोपी सुनील कुमार गर्ग

द्वारा दिनांक 10.04.2023 को दौराने रिश्वत मांग सत्यापन परिवादी विनोद सेन से 5000 रूपये रिश्वत के प्राप्त किये, जिसकी पुष्टि रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता प्रथम से होती है।

दिनांक 18.07.2023 को ट्रेप कार्यवाही की जाकर आरोपी सुनील कुमार गर्ग पुत्र सत्यनारायण गर्ग उम्र 35 साल निवासी खण्डार जिला सवाई माधोपुर हाल निवास फ्लेट नं. 309 पार्श्वनाथ अपार्टमेन्ट, कुन्हाडी, कोटा शहर हाल आबकारी निरीक्षक वृत्त बूंदी जिला बूंदी को परिवादी विनोद सेन से ग्राम पंचायत रिहाणा, ख्यावदा तहसील व जिला बूंदी में स्थित देशी अग्रेंजी कम्पोजिट शराब दुकान कोड नं. 801070 के निर्बाध संचालन की एवज में 6,000 रूपये मासिक बन्धी रिश्वत लेते हुये कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी बूंदी में स्थित उसके कक्ष में रंगे हाथ पकडा जाकर रिश्वत राशि 6000 रूपये आरोपी की पहनी हुई शर्ट की जेब से बरामद की गई है। आरोपी के दोनों हाथों व शर्ट की जेब का पृथक–पृथक धोवन लिया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी प्राप्त हुआ है।

ट्रेप कार्यवाही से आरोपी सुनील कुमार गर्ग पुत्र सत्यनारायण गर्ग उम्र 35 साल निवासी खण्डार जिला सवाई माधोपुर हाल निवास फ्लेट नं. 309 पार्श्वनाथ अपार्टमेन्ट, कुन्हाडी, कोटा शहर हाल आबकारी निरीक्षक वृत्त बूंदी जिला बूंदी के विरूद्ध जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 का अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। अतः आरोपी सुनील कुमार गर्ग, आबकारी निरीक्षक वृत्त बूंदी जिला बूंदी के विरूद्ध उपरोक्त धारा में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार की जाकर वास्ते क्रमांकन सी0पी0एस0 जयपुर प्रेषित है।

(ज्ञानचन्द)
उप अधीक्षक पुलिस
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
बूंदी

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री ज्ञानचन्द, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बून्दी ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री सुनील कुमार गर्ग पुत्र श्री सत्यनारायण गर्ग, आबकारी निरीक्षक, वृत बूंदी जिला बूंदी के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अत: अपराध संख्या 197/2023 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

19/7/23

(कालूराम रावत)
उप महानिरीक्षक पुलिस-द्वितीय,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

कमांक:- 2385-88 दिनांक:- 19.7.2023

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा।
2. आबकारी आयुक्त, आबकारी विभाग राजस्थान, उदयपुर।
3. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बून्दी।

19/7/23

उप महानिरीक्षक पुलिस-द्वितीय,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।